

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

I. बैंकों से संबंधित

1. वे सभी बैंक जिनको रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, उन्हें अनुसूचित बैंक के रूप में जाना जाता है। इन बैंकों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल हैं।
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारत में उनके स्वामित्व एवं / या कार्य की प्रकृति के अनुसार पांच समूहों में बाटा गया है। ये बैंक समूह हैं (i) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (iv) विदेशी बैंक और (v) अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (निजी क्षेत्र में)।
3. अनुसूचित सहकारी बैंकों में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।
4. बैंकवार सारणियों और संक्षिप्त सारणियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं वाणिज्य सहकारी बैंक, बैंक-समूह स्तर पर शामिल नहीं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्य सहकारी बैंक समूह के विवरण, सारणी 2.1 और 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।
5. वर्ष 2007-08 में वाणिज्यिक बैंकिंग सिस्टिम में निम्नलिखित बदलाव आए हैं :
 - (i) 19 अप्रैल, 2007 से सांगली बैंक का विलय (मर्जर) आसीआइसीआई बैंक से हो गया है।
 - (ii) 29 अगस्त 2007 से लार्ड कृष्णा बैंक का विलय (मर्जर) 'सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब से हो गया है।
 - (iii) 5 मार्च 2008 से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का विलय (मर्जर) 'स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक' से हो गया है।
 - (iv) 'अरब बांग्ला देश बैंक' का नाम 'आइडीबीआई बैंक लि.' हो गया है।
 - (v) आइडीबीआई लि. का नाम 'आइडीबीआई बैंक लि.' हो गया है।
 - (vi) मार्च 31, 2007 को 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। तथापि समामेलन (अमैलगमेशन) के चलते ऐसे बैंकों की संख्या 31 मार्च 2008 तक घट कर 91 रह गयी। और आगे घट कर 01 मई 2008 को 87 रह गयीं। 01 मई 2008 की स्थिति के अनुसार समामेलित (अमैलगमेटेड) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की लिस्ट टेबल बी 16 में दी गई है।इन परिवर्तनों को उन टेबलों में दिखलाया गया है जहाँ एक-एक बैंक का डेटा दिया गया है।
6. बैंक समूहवार वर्गीकरण में, आइडीबीआई बैंक लि., को राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल किया गया है।
7. इस पुस्तक में प्रस्तुत बैंक सुविधायुक्त केंद्रों के जनसंख्या समूह 2001 की जनगणना पर आधारित है। जनसंख्या समूहों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :
 - (i) 10,000 से कम की जनसंख्या वाले, सभी केंद्र 'ग्रामीण' समूह में हैं।
 - (ii) 'अर्ध शहरी समूह' में 10,000 और उससे अधिक परंतु एक लाख से कम की जनसंख्या वाले केंद्र हैं।
 - (iii) एक लाख और उससे अधिक परंतु 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले, केन्द्र 'शहरी' समूह में हैं।
 - (iv) 'महानगरीय' समूह में दस लाख और उससे अधिक जनसंख्यावाले केन्द्र केंद्र शामिल हैं।

(II) टेबल से संबंधित

टेबल 6.4, 6.5, 6.6 (क), 6.6 (बी), 6.6 (सी), 6.6 (डी) और 6.7 – ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग द्वारा सोर्स किए गये इन टेबलों में बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने के रिपोर्टिंग फॉर्मेट चेज होने के कारण बदलाव आया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुछ सब-हेड्स के अलग आंकड़े देने के अलावा, प्राथमिकता क्षेत्रों के अग्रिमों को अडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या क्रेडिट समतुल्य (इक्विवैलेंट) जो भी इन नये फॉर्मेट में अधिक है, के प्रतिशत प्रस्तुत किया है।

टेबल 2.1 और 2.2 – ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत पाक्षिक 'फॉर्म-ए' – विवरणियों से संकलित हैं और भारत में उनके कारोबार में संबंधित हैं। अंतर-बैंक जमाराशियां/आस्तियां जिनकी 15 दिनी एवं इससे अधिक और एक वर्ष तक की परपक्वता अवधि है, इसमें शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी राशियों से संबंधित आंकड़े सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक साप्ताहिक कार्य-स्थिति विवरण से प्राप्त किए गए हैं।

टेबल 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 – सारणी 2.3, 2.4, 2.5 और 4.1 में दिए गए आंकड़ों में अंतर-बैंक जमाराशियां शामिल नहीं हैं, अतएवं इनका क्षेत्र सारणी 3.1 में दिए गए आंकड़ों से अलग है। सारणी 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 5.2 और 5.3 में प्रस्तुत बैंक ऋण आंकड़ों में कर्ज, नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और खरीदे एवं भुनाए गए बिल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सारणी संख्या 5.1, 5.2 और 5.3 में दिए बैंक ऋण से संबंधित आंकड़ों में बैंकों से बकाया भी शामिल है।

टेबल 2.6 और बी 11 अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों (क्षे.ग्रा.बैं. को छोड़कर) के चुने हुए वित्तीय अनुपात बैंकों के प्रकाशित वार्षिक लेखों से लिए और संकलित किए गए हैं तथा 31 मार्च 2007 और 2008 को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं। अनुपात 21 और 30 से 35 अर्थात् "आस्तियों पर लाभ", "प्रति कर्मचारी कारोबार" (जमाराशियां और अग्रिम मिलाकर) "प्रति कर्मचारी लाभ", "पूँजी पर्याप्तता अनुपात", पूँजी पर्याप्तता अनुपात-टिअर I "पूँजी पर्याप्तता अनुपात-टिअर II " और 'शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां' जैसे अनुपात अलग-अलग बैंकों के प्रकाशित लेखों के 'लेखों पर टिप्पणियां' (नोट्स ऑन अकाउन्ट्स) से प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों को बैंक-समूह स्तर पर समेकित नहीं किया गया है।

अन्य अनुपातों को निकालने के लिए प्रयुक्त अवधारणाएं/परिभाषाएं इस प्रकार हैं :-

1. (i) नकद-जमा अनुपात के "नकद" में नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा शामिल हैं।
- (ii) निवेश-जमा अनुपात के "निवेश" का अर्थ है कुल निवेश जिसमें उन प्रतिभूतियों में किया गया निवेश भी शामिल है जिन्हें अनुमोदन नहीं प्राप्त है।
- (iii) "शुद्ध ब्याज (नेट इंटररेस्ट) मार्जिन", कुल अर्जित ब्याज से कुल प्रदत्त ब्याज को घटाकर प्राप्त किया गया है।
- (iv) "मध्यस्थता लागत" (इंटरमिडिएशन कॉस्ट), को "कुल परिचालन व्यय" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- (v) "कर्मचारियों को वेतन एवं उनके लिए प्रावधान", को "मजदूरी बिल" कहा गया है।
- (vi) प्रावधानों एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय को कुल आय से घटाकर "परिचालन लाभ" प्राप्त किया गया है।
- (vii) "बोझ" (बर्देन) का अर्थ है कुल ब्याजेतर (नॉन-इंटररेस्ट) खर्च में से ब्याजेतर (नॉन-इंटररेस्ट) आय को घटाकर प्राप्त की गई राशि।
- (2) पूँजी, प्रारक्षित (रिज़र्व्स), जमाराशियां, उधार, अग्रिम, निवेश और आस्तियां/देयताएं जैसी चीजे जिनका विभिन्न वित्तीय आय/व्यय अनुपात निकालने में प्रयोग किया गया है, (अनु. 11 से 29 तक) दो संबंधित का औसत है।
- (3) अनुपातों को इस प्रकार परिभाषित किया है :
 - (i) नकदी-जमा अनुपात = (हाथ में नकदी + भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाराशि) / जमाराशियां
 - (ii) प्रतिभूत (सिक्युर्ड) अग्रिम का कुल अग्रिम से अनुपात = (मूर्त (टैंजिबल) आस्तियों द्वारा प्रतिभूत अग्रिम + बैंक या सरकारी गारंटी द्वारा से कवर किया अग्रिम) / अग्रिम

- (iii) ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात = अर्जित ब्याज/कुल आस्तियां
- (iv) शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात = अन्य आय/कुल आस्तियां
- (v) ब्याजेतर आय का कुल अस्तियों से अनुपात = अन्य आय/कुल आस्तियां
- (vi) मध्यस्थता लागत का कुल अस्तियों से अनुपात = परिचालन व्यय/कुल आस्तियां
- (vii) मजदूरी बिल का कुल व्यय से अनुपात = कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान/कुल व्यय
- (ix) मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात = कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान/कुल आय
- (x) बोझ (बर्डेन) का कुल आस्तियों से अनुपात = (परिचालन व्यय-अन्य आय) / कुल आस्तियां
- (xi) बोझ (बर्डेन) का ब्याज आय से अनुपात = (परिचालन व्यय-अन्य आय)/ब्याज आय
- (xii) परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात = परिचालन लाभ/कुल आस्तियां
- (xiii) किसी बैंक समूह (सारणी 2.6 के लिए) की आस्तियों पर लाभ का पता लगाने के लिए समूह के अलग-अलग बैंकों (सारणी बी 11 से) की आस्तियों से प्राप्त आय का भारित औसत प्राप्त किया जाता है। यहाँ भार (वेट) का अर्थ है, किसी निर्दिष्ट बैंक की आस्तियों का संबंधित बैंक समूह के सभी बैंकों की कुल आस्तियों से प्रतिशत में अनुपात।
- (xiv) इक्विटी पर लाभ = शुद्ध लाभ/(पुंजी + आरक्षित निधी एवं अधिशेष (रिजर्व्स एंड सरप्लस), जिसे संचित के लिए समायोजित नहीं किया गया है)
- (xv) जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज/जमाराशियां
- (xvi) उधार की लागत = भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार पर प्रदत्त ब्याज/उधार
- (xvii) निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + भा.रि.बैं. से लिए गए उधार प्रदत्त ब्याज)/जमाराशियां + उधार का कुलयोग
- (xviii) अग्रिमों पर लाभ = अग्रिमों और बिलों पर अर्जित ब्याज/अग्रिम
- (xix) निवेशों पर लाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज/निवेश
- (xx) निधियों की लागत के साथ समायोजित (एडजस्टेड) अग्रिमों पर लाभ = अग्रिमों पर लाभ-निधियों की लागत
- (xxi) निधियों की लागत के साथ समायोजित (एडजस्टेड) निवेशों पर लाभ = निवेशों पर लाभ-निधियों की लागत

हर (डिनामिनेटर) के अनुपात में जहाँ उचित समझा गया है वहाँ 'चालू वर्ष' और 'पिछले वर्ष' के औसत का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2007-08 में कुल एसेट की तुलना में शुद्ध ब्याज मार्जिन के अनुपात में हर (डिनामिनेटर) के लिए 2006-07 और 2007-08 के औसत (एवरेज) टोटल एसेट का इस्तेमाल किया गया है।

टेबल 4.2 – यह सारण मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी – iv में चुनी हुई शाखाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है। 3 मार्च 2007 तक मूसांवि –iv सर्वेक्षण में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 11423 चुनी हुई शाखाओं को कवर किया गया।

टेबल 9.1 और बी2 – इन सारणियों के लिए आंकड़े, बैंकों द्वारा प्रकाशित उनके वार्षिक लेखे के लाभ-हानि लेखे की विभिन्न अनुसूचियों से प्राप्त किए गए हैं। इन सारणियों में दर्शाए गए 'कुल व्यय' में 'प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय' शामिल नहीं है। 'लाभ' निकालने के लिए बैंक की कुल आय से ब्याज व्यय, परिचालन व्यय तथा प्रावधान एवं आकस्मिक खर्चों को घटाया गया है।

टेबल 10.1 – इस सारणी का आधार मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-(बीएसआर) II के माध्यम से प्राप्त आंकड़े हैं और इनमें बैंक के केवल पूर्ण-कालिक कर्मचारी ही शामिल हैं।

टेबल 11.4 – आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं से प्राप्त मूसांवि-I और मूसांवि-II (बीएसआर I और II) पर आधारित हैं और 2 लाख से अधिक ऋण सीमावाले खातों से संबंधित हैं। इस ऋण में खरीदे व भुनाए गए अंतर्देशीय एवं विदेशी बिल शामिल नहीं हैं। बकाया राशि का इस्तेमाल औसत उधार दरों को निकालने के लिए तोल (वेट) के रूप में किया गया है। जमा दर केवल सावधि जमा राशियों से संबंधित है। औसत जमा दर का आंकड़ा कुल 70408 शाखाओं में से 61106 रिपोर्ट करने वाली शाखाओं पर आधारित है।

टेबल बी1 से बी11 तक – ये सारणियां अलग अलग अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के आंकड़े, प्रस्तुत करती हैं।

टेबल बी15 – से आंकड़े भारत के उन जमा खातों से संबंधित हैं जो 31 दिसंबर 2007 तक दस वर्ष या उससे अधिक समय से परिचालित (ऑपरेट) नहीं किए गए हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1949 की धारा 26 के तहत फॉर्म IX में बैंकों द्वारा प्रस्तुत विवरणी पर आधारित हैं।

III. सामान्य टिप्पणियां

- (i) हो सकता है कि सारणियों का जोड़ घटक मदों के जोड़ से पूरी तरह मेल न खाए क्योंकि अंको को पूर्णांकित किया गया है।
- (ii) कोष्ठकों में दिए गए अंक सामान्यतया कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
- (iii) लाख की इकाई 1,00,000 के बराबर है और करोड़ की इकाई 1,00,00,000 के बराबर है।
- (iv) '-' के प्रतीक का अर्थ है शून्य या नगण्य। उपलब्ध नहीं या लागू नहीं के लिए '..' प्रतीक का उपयोग किया गया है।
- (v) प्रत्येक सारणी के अंत में उससे संबंधित स्रोत व टिप्पणियां दी गई हैं।
- (vi) वर्ष 2007 का संदर्भ वित्तीय वर्ष अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक और वर्ष 2008 का संदर्भ वित्तीय वर्ष अप्रैल 2007 से मार्च 2008 वर्ष से है।
- (vii) पिछले वर्षों के कुछ डेटा रिवाइज किए गए हैं।